शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग में राज्य मंत्री) (श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया): (क) और (ख): जी, हां। शहरी स्लमों में पर्यावरणीय सुधार की स्कीम (ईआईयूएस) केन्द्रीय स्कीम के रूप में 1972 में आरम्भ की गयी थी तथा स्लम क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार हेतु राज्य सेक्टर में वर्ष 1974 से चल रही है। इस स्कीम के तहत सात बुनियादी सुविधाओं अर्थात् जल आपूर्ति, सीवरेज, बरसाती नाले की नालियां, सामुदायिक स्नानघर, सामुदायिक शौचालय, गलियों व पटरियों को चौड़ा करना व खंडजे बिछाना और पथ-प्रकाश की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा की स्कीम और प्रधान मंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम में भी ऐसे घटक हैं, जिनका शहरी क्षेत्रों की स्लम आबादी पर प्रभाव पड़ता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेल लाइनों का परिवर्तन

*115. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल राज्य मंत्री ने 2 फरवरी, 1996 को दरभंगा-समस्तीपुर, बड़ी लाइन के उद्घाटन अवसर पर दरभंगा-निर्मली, दरभंगा-जयनगर, दरभंगा-नरकटियागंज मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या मंत्री ने निर्मली भपटियाही रेल लाइन को फिर से बनाने की घोषणा भी की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी): (क) और (ख) यह घोषित किया गया था कि आमान परिवर्तन की इन परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा, इन सर्वेक्षणों के लिए स्वीकृति दे दी गयी है;

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नई रेलगाड़ियां चलाए जाने संबंधी मानदण्ड

*116. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा नई रेलगाड़ियां चलाए जाने के संबंध में क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) सरकार ने वर्ष 1994-95 के दौरान लम्बी दूरी की कितनी नई रेलगाड़ियां आरंभ की हैं और पश्चिम रेलवे के अंतर्गत गुजरात और सौराष्ट्र-कच्छ से लम्बी दूरी की कितनी नई रेलगाड़ियां आरंभ की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने लखनऊ-इलाहाबाद-राजकोट सेक्टर तथा कलकत्ता-राजकोट सेक्टर पर सीधी नई रेलगाड़ियां प्रारंभ करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी): (क) यातायात का औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता।

(ख) 1994-95 के दौरान लंबी दूरी की 5 जोड़ी नई गाड़ियां (1500 कि॰मी॰ या अधिक दूरी तक चलने वाली गाड़ियां) चलाई गई थीं।

1994-95 के दौरान गुजरात और सौराष्ट्र-कच्छ से लंबी दूरी की कोई नई गाड़ी नहीं चलाई गई है। तथापि, 6045/6046 नवजीवन एक्सप्रेस के फेरों में वृद्धि और 6337/6338 कोचीन-अहमदाबाद साप्ताहिक एक्सप्रेस (दोनों लंबी दूरी की गाड़ियां) के चालन में राजकोट तक विस्तार से गुजरात क्षेत्र में अतिरिक्त सुविधा की व्यवस्था हुई है।

(ग) और (घ) परिचालनिक कठिनाइयों तथा संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

बहरहाल, कलकत्ता-राजकोट के यात्री 8033/8034 हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस, जिसमें पोरबन्दर के लिए 3 स्लिप सवारी डिब्बे लगे होते हैं, द्वारा यात्रा कर सकते हैं। लखनऊ/इलाहाबाद-राजकोट के यात्री 9165/9166 मुजफ्फरपुर/वाराणसी अहमदाबाद एक्सप्रेस, 5045/5046 गोरखपुर-अहमदाबाद साप्ताहिक एक्सप्रेस अथवा 5063/5064 गोरखपुर-बांद्रा एक्सप्रेस (अहमदाबाद के लिए 5 स्लिप सवारी डिब्बे) और गाड़ी बदलने की सुविधा का उपयोग करके यात्रा कर सकते है।